


निर्माण कार्य प्रभावित आरक्षित वन भूमि के N.P.V. मूल्य का निर्धारण

राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन, अभाव खण्ड उ०प्र० जल निगम, मीरजापुर द्वारा जनपद-मीरजापुर में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत जनपद-मीरजापुर की सतही श्रोत आधारित दाँती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु प्रस्तावित विभिन्न ग्रामों तक पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने से क्षेत्रफल 0.7694 हे० आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी ।


प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V.) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3/2011-एफ०सी०(vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्गत संशोधित एन०पी०वी० के आदेश के पैरा-4(vii) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार-

- 1- 4 ईच व्यास से ऊपर भूमिगत पेय पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 0.7070 हे० ।
- 2- 4 ईच व्यास से कम भूमिगत पेय पाइप लाइन बिछाये जाने से प्रभावित आरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 0.0624 हे० ।

इको क्लास-(iii) (खुला वन) हेतु हरियाली घनत्व के अनुसार निर्धारित एन०पी०वी० 9,57,780.00 रू० प्रति हे० की दर से रू० 9,57,780.00 रू० x 0.7070 हे०= रू० 6,77,150.00 (छः लाख सतहत्तर हजार एक सौ पचास रूपये मात्र) का भुगतान प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त याचक विभाग द्वारा कैम्पा को देय होगा एवं यदि एन०पी०वी० की धनराशि में उक्त अवधि में वृद्धि होती है तो उक्त बढ़ी हुई धनराशि को अदा करने हेतु राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन बाध्य होगा ।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
बडिहान रेंज
मीरजापुर वन प्रभाग


क्षेत्रीय वन अधिकारी
विण्ढमफाल रेंज


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुनार